



राजस्थान सरकार  
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांक: प. 1(1) वित्त/साविलेनि/2007

जयपुर, दिनांक: 17.06.2020

परिपत्र

**विषय : कोविड-19 की विशिष्ट परिस्थितियों में कार्य निष्पादन प्रतिभूति के प्रतिदाय के प्रावधान।**

राज्य सरकार द्वारा भाल, सेवा तथा संकर्म के उपापन में संवेदक से कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance Security) लिये जाने के प्रावधान राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित हैं।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-11 के नियम 57 तथा 68 एवं लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-1 के नियम 597 में संवेदक से प्राप्त कार्य संपादन प्रतिभूति के प्रतिदाय के प्रावधान वर्णित है।

वर्तमान में विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी की इस विशिष्ट परिस्थिति में संवेदकों के पास नकदी की तरलता की वृद्धि हेतु कार्य संपादन प्रतिभूति के प्रतिदाय के प्रावधानों में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये जाते हैं :-

जहां संवेदक द्वारा कुल अनुबंध राशि के 50 प्रतिशत तक या इससे अधिक सामान की आपूर्ति, सेवा प्रदाय, संकर्म का निष्पादन पूर्ण कर दिया हो तथा अनुबंध की समस्त अन्य शर्तों की पालना पूर्ण हो रही हो तो संवेदक के आवेदन के आधार पर कुल कार्य संपादन प्रतिभूति राशि का 25 प्रतिशत तक प्रतिदाय किये जाने का उपापन संस्था द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा इसी प्रकार 75 प्रतिशत या इससे अधिक कार्य पूर्ण होने पर 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर 75 प्रतिशत राशि प्रतिदाय की जायेगी शेष 25 प्रतिशत राशि अनुबंध की शर्तों के पूर्ण होने के उपरांत ही प्रतिदाय की जायेगी।

इस प्रकार कम से कम अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित कार्य संपादन प्रतिभूति की 25 प्रतिशत राशि उपापन संस्था के पास रहेगी तथा अनुबंध की शर्तों की पालना के अध्यक्षीन ही प्रतिदाय की जायेगी।

यह परिपत्र निर्माण विभागों के O&M प्रकरणों पर प्रभावी नहीं होगा।

*(Handwritten Signature)*  
17/6/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)  
शासन सचिव,  
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर। 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर। 6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन
12. संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
13. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर। 14. समस्त कोषाधिकारी।
15. तकनीकी निदेशक (computer cell), वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

*(Handwritten Signature)*  
17/6/2020  
(विमल कुमार गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR 8/2020)



# JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

JPD/Rules-1365

CIN: U40109RJ2000SGC016486

(A Government of Rajasthan Undertaking)

Office: Room no. 3, Old Power House Premises, Near Ram Mandir,

प्रभास्मि शशि सूर्ययोः

Banipark, Jaipur- 302006. Email: caoia@jvvn.org / Website: <http://energy.rajasthan.gov.in/jvvn>

No. JPD/CAO(IA)/AAO/Rules/F. 05 / D. 5408

Jaipur, dated: - 16/02/2021

Copy submitted/forwarded to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control: -

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer ( ), JPD, \_\_\_\_\_
2. The Chief Controller of Accounts/Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur
3. The Dy. Chief Engineer ( ), JPD, \_\_\_\_\_
4. The Chief Accounts Officer (FM-W&M/ R&B) JPD, Jaipur.
5. The Secretary (Admn.)/Company Secretary, JPD, Jaipur.
6. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
7. The Sr. Accounts Officer ( )/ Dy. Director of Personnel ( ), JPD, \_\_\_\_\_
8. The Superintending Engineer ( ), JPD, \_\_\_\_\_
9. The Superintending Engineer (IT), JPD, Jaipur. He is requested to upload this order indicating JPD/Rules No. on the Jaipur Discom's website.
10. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer ( ), JPD, \_\_\_\_\_
11. T.A. to MD, JVVNL, Jaipur.
12. P.A to the Accountant General (Audit-II), O/o AG Rajasthan, Jaipur.
13. P.A to the Chairman & Managing Director (Discoms), Jaipur.
14. P.A to the Director (Finance/Technical), JPD, Jaipur.

(Dr. R.P. Gupta)  
Chief Accounts Officer (IA)

Note: - Orders issued under JPD/Rules are also available on the website of Jaipur Discom.